

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

\*\*\*\*\*

**अधिसूचना सं.32/2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)**

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2020  
6 चैत्र, 1942 (शक)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्यां 27 /2020 -सीमा शुल्क(गै.टै.) दिनांक 19 मार्च में, दिनांक 27 मार्च 2020 से निम्नलिखित संसोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-II में क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात् :-

**अनुसूची-II**

| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर |                        |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |               | (क)                                                          | (ख)                    |
| (1)     | (2)           | (3)                                                          |                        |
|         |               | (आयातित माल के लिए)                                          | (निर्यातित माल के लिए) |
| 2.      | कोरियाई वोन   | 6.35                                                         | 5.95                   |

(प्रमोद कुमार)  
निदेशक  
टेलीफ़ोन नं. 011-2309 5541